

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./नाली/25/ 3041

भोपाल, दिनांक - 30/11/26

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर पालिका आप्टा  
जिला - सीहोर

विषय:- वार्ड क्र. 16 में सेमनरी रोड़ से जगन्नाथपुरा ग्राम की पुलिया तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।  
संदर्भ:- आपका पत्र क्रं. 2254 दिनांक 20.01.2026.

-----//-----

विषयान्तर्गत, संदर्भित पत्र के द्वारा वार्ड क्र. 16 में सेमनरी रोड़ से जगन्नाथपुरा ग्राम की पुलिया तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व Existing नाला/नालियों का लेबिल चेक किया जावे, जिससे निर्माण के उपरान्त पानी निकासी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, साथ ही डिस्चार्ज के अनुसार नाली का सेक्शन निर्धारित किया जावे। रोड़ के किनारे नाली इस प्रकार निर्मित की जावे जिससे रोड़ के पानी की निकासी नाली के माध्यम से हो सके। निविदा लागत की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त की जावे। निर्माण कार्य की स्ट्रक्चरल डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से करवाने के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावे। परीक्षण उपरान्त MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि
1	वार्ड क्र. 16 में सेमनरी रोड़ से जगन्नाथपुरा ग्राम की पुलिया तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	न.पा.निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस. एस.आर. दि.02.08.21 से प्रभावशील	2,77,64,783.00
			(जी.एस.टी. 18 प्रतिशत) राशि	49,97,661.00
			कुल योग	3,27,62,444.00

शर्तें-

1. मध्यप्रदेश नगरपालिका) लेखा एवं वित्त (नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
2. तथ्यों को छुपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
3. मध्यप्रदेश नगरपालिका) लेखा एवं वित्त (नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना ,व्याज जमा , निष्पादन प्रतिभूमि सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
4. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
5. भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
6. बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
7. निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी .स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी .स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
8. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाइड/सप्लीमेंट्री कार्यों के लिए नहीं। तथ्यों को छुपाने पर प्राप्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
9. सी.पी.डब्ल्यू .डी .स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी .स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कॉन्क्रीट आदि का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में निर्धारित आवृत्ति अनुसार परिक्षण कराया जावे। संतोपजनक परिक्षण परिणाम प्राप्त होना पर चलदेयको के भुगतान की कार्यवाही की जावे।
10. मध्यप्रदेश नगरपालिका) लेखा एवं वित्त (नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना ,व्याज जमा , निष्पादन प्रतिभूमि सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
11. सीमेन्ट, कॉन्क्रीट एवं आर.सी.सी .नाली निर्माण में स्टील सेन्ट्रिंग का उपयोग किया जावे। कॉन्क्रीट मिक्सिंग के लिए मिक्सर मशीन तथा वाईब्रेटर का उपयोग अनिवार्यतः किया जावे।
12. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे किमी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार होंगे , तथा प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
13. आर.सी.सी .नाली/नाला की स्ट्रक्चरल तथा मिक्स डिजाइन का परिक्षण शासकीय पालिटैक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज से कराया जाकर उसका अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता में कराया जावे। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृती प्राप्त करने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
14. म.प्र .शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र .F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु . 1.00 लाख अथवा उसमें अधिक के कार्याय जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहूत की जाना सुनिश्चित करें।
15. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किमी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्राप्प में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा।
16. निःशक्त जनों के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेप्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वाइन्ट आदि लगाये जावे।

17. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।
18. निर्माण कार्य की लागत राशि रु .25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।
19. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ .एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
20. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
21. (MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रपासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
22. (MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
23. (MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
24. निर्माण कार्य की सक्षम प्रपासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
25. निर्माण कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
26. कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
27. ऐसे निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति जो निविदा आमंत्रण के पश्चात् प्राप्त की जाती है वह स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
28. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जावे, निजी भूमि एवं अवैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यों को छुपाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानान्तरण करवाये जाने के पश्चात प्रश्नाधिन कार्य काराया जावे। शर्तों का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
29. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अवधि पूर्ण हुए बिना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
30. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

  
(आर.आर.जोरोलिया)  
अधीक्षण यंत्री

नगरीय प्रशासन एवं विकास  
भोपाल संभाग, भोपाल

NAGAR PALIKA PARISHAD ASHTA DISTRICT - SEHORE (M.P.)

ABSTRACT <sup>Semneri</sup>

CONSTRUCTION OF NAALA AT KANNOD ROAD ASHTA

S.NO.	PARTICULARS	LENGTH	SIZE	AMOUNT
1	Construction of RCC Naala In Ward No 16 , Semneri Road Colony Chauraha	1600 M	1200 W X 1600 D X 200 T	2774983 28246607
	TOTAL			28246607
	Add GST 18%		4997661	5084389
	G. TOTAL			<u>33330997</u>

32762444 = 00

TECHNICAL SANCTION AS PER CONDITIONS, Vide  
 Letter No. 41 Dated 30/1/26 For  
 Construction of Ward No. 16 RCC Drain  
Semneri Road to Jaggannath Kulkarni Colony  
 Out word No. .... Granted for Rs. 32762444.00  
 In words No. Three Crores Twenty Seven  
Lacs Sixty Two Thousand Four Hundred  
 Checked by [Signature]  
 S.E./A.E. [Signature] 30/1/26  
 Engineer  
 Urban Administration &  
 Development, Narmadapuram Division

[Signature]  
 Sub Engineer  
 Nagar Palika Ashta  
 न.पा.प.आष्टा

कार्यपालन यंत्र  
 सहायक यंत्री  
 न पा प आष्टा

[Signature]  
 Chief Municipal Officer  
 Nagar Palika Ashta  
 मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
 न.पा.परिवट आष्टा

NAGAR PALIKA PARISHAD ASHTA DISTRICT - SEHORE (M.P.)

ESTIMATE

AS PER UADD- INTEGRATED STANDARD SCHEDULE OF RATES DATED 2nd AUGUST 2021

Construction of RCC Naala in Ward No 16 , Semneri Road Colony Chauraha

S.NO.	SOR No.	DESCRIPTION OF ITEM	DIMENSIONS M				QUANTITY	UNIT	RATE (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
			No	L	B	H/D				
		RCC Drain			1.20	X	1.6	0.2	1600	METRE
		<b>EARTH WORK</b>								
1	Vol.II-2.6	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means over areas (exceeding 30cm in depth. 1.5m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated earth, lead upto 50m and lift upto 1.5m, disposed earth to be levelled and neatly dressed. All kinds of soil								
			1	1600	1.80	1	2880	CuM	151	434880
		<b>BASE</b>								
2	Vol.II-2.18.1	Supplying and filling in plinth under floors including, watering, ramming consolidating and dressing complete.								
		Moorum/Hard copra	1	1600	1.8	0.50	1440	CuM	478	688320
		<b>CONCRETE</b>								
3	Vol.II-4.1.6	Cement concrete grade M-10 (Nominal Mix) with 40 mm maximum size of stone aggregate								
		PCC for Drain	1	1600	1.8	0.15	432	cum	4112	1776384
		<b>FOR BASE</b>								
4	Vol.II-5.1.1	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete excluding the cost of centering, shuttering Cement concrete grade M-20 (Nominal Mix) with 20 mm maximum size of stone aggregate.								
			1	1600	1.60	0.15	384	CuM	5435	2087040
		<b>FOR WALL</b>								
	Vol.II-5.2.1	Reinforced cement concrete work in walls (any thickness), including attached pilasters, buttresses, plinth and string courses, fillets, columns, pillars, piers, abutments, posts and struts etc. up to floor two level excluding cost of centering, shuttering, finishing and reinfor cement Cement concrete grade M-20 (Nominal Mix) with 20 mm maximum size of stone aggregate.								
			2	1600	0.2	1.6	1024	CuM	5656	5791744
		<b>FOR TOP PRECAST SLAB</b>								
	Vol.II-5.3	Providing, hoisting and fixing up to floor two level precast reinforced cement concrete in lintels, manhole cover, shelves and like including setting in cement mortar 1:3 (1 cement : 3 sand), cost of required centering, shuttering and finishing with neat cement punning on exposed surfaces but excluding the cost of reinforcement with M 20 -Grade Concrete.								
		Precasted Rectangular Slab Blocks as per darin size with provision of hooks to lift and move	1	1600	1.60	0.2	512	CuM	7944	4067328


0.15 432


206496 = 9

5	Vol.II-5.11.2	Reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding upto floor level including cost of binding wire, wastage and over laps upto 12mm horizontal/ inclined position of reinforcement bars in slab and beams, plinth, chajjas, lintels, upto 4.5m vertical length of reinforcement in wall columns (over laps shall be provided as per requirement of IS : 13920; IS 456 & SP : 34) etc. complete								
		Taking Quantity as per Schedule attached	1	176445			176445.4	kg	58	10233831
		<b>SHUTTERING</b>								
6	Vol.II-19.1.2	Centering and shuttering including strutting, propping etc.and removal of form for								
		Outer Wall	2	1600		1.75	5600	SQM	289	1618400
		Inner Wall	2	1600		1.6	5120	SQM	289	1479680
34	Vol.II-10.14.1.2	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer using structural steel etc. as required.								
		In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.								
		Gratings at Each Crossing to remove Excess Garbage Taking 25 kg per Crossing per Meter	6	5	25		750.00	kg	92.00	69000.00
									<b>Total</b>	<b>-28246607</b>

27764782=9

ADD-18x.4.57

  
Sub Engineer  
Nagar Palika Ashta  
उपयंत्रा  
न.पा.प.आष्टा

  
सहायक यंत्री  
न पा प आष्टा

  
Chief Municipal Officer  
Nagar Palika Ashta  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
न.पा.परिषद आष्टा